SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
April – June 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-2

पत्रकारों की सुरक्षा और भारतीय विधिक संरचना: एक समीक्षा

आलोक अग्रवाल
पत्रकारिता एवं जनसंचार
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

लोकतांत्रिक प्रणाली में पत्रकारों की भूमिका महत्त्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मानी जाती है। वे समाज और सत्ता के बीच सेतु बनाकर सूचना का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। उनकी निर्भीकता और निष्पक्षता ही उन्हें लोकतंत्र का प्रहरी बनाती है, लेकिन आज भारतीय संदर्भ में पत्रकारों की सुरक्षा गहन संकट में है। पत्रकारों को आए दिन धमकियाँ, हमले, हत्या, कानूनी उत्पीड़न, और सामाजिक बहिष्कार के साथ-साथ लगातार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और विधिक खतरों का सामना करना पड़ता है। यह शोधपत्र पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भारत में उपलब्ध विधिक संरचना की समीक्षा करता है।

यह शोध पत्र पत्रकारों की सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, साथ ही यह भी समीक्षा करता है कि भारत की वर्तमान विधिक संरचना किस हद तक पत्रकारों की रक्षा करने में सक्षम है। इसमें संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों, न्यायिक व्याख्याओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु और अधिक प्रभावी कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। यह अध्ययन यह भी उजागर करता है कि जब तक पत्रकारों को सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा अधूरी रहेगी। अंततः यह शोधपत्र पत्रकारों की सुरक्षा हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय कानून और प्रभावशाली कार्यप्रणाली की आवश्यकता पर बल देता है।

बीज शब्द

पत्रकार सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, भारतीय संविधान, मानवाधिकार, विधिक संरचना, प्रेस परिषद, पत्रकार सुरक्षा कानून।

प्रस्तावना

"कलम की ताकत तलवार से अधिक होती है" - यह उक्ति पत्रकारिता की भूमिका को परिभाषित करती है। पत्रकार समाज के वे प्रहरी होते हैं जो सत्ता, व्यवस्था, और सामाजिक अन्याय पर प्रकाश डालते हैं। वे न केवल सूचना देते हैं, बल्कि जनमत का निर्माण भी करते हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज के समक्ष सत्य को उजागर करना और सत्ता से सवाल पूछना है। जब पत्रकार बिना भय या पक्षपात के सच्चाई सामने लाते हैं, तभी लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो पाती है।

किन्तु दुर्भाग्यवश, भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों में पत्रकारों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बन गया है। कई मामलों में पत्रकारों को धमकाया गया, हमला किया गया, और यहाँ तक कि हत्या भी की गई। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है। यह शोधपत्र इसी पृष्ठभूमि में पत्रकारों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है और भारतीय विधिक प्रणाली की उपयुक्तता की समीक्षा करता है।

शोध विधि

इस शोध में गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें निम्नलिखित विधियों का समावेश किया गया है जैसे -

भारतीय संविधान, प्रेस काउंसिल एक्ट, आईपीसी, आईटी एक्ट, आदि।

पत्रकारों पर हुए हमलों के उल्लेखनीय उदाहरण।

रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स, UNESCO, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्टें।

अन्य देशों की पत्रकार सुरक्षा नीतियों से तुलनात्मक अध्ययन।

शोध विस्तार

1. **पत्रकारों की स्वतंत्रता और संविधान** - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। यद्यपि प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट

उल्लेख नहीं है, कई पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस या राजनीतिक गुटों द्वारा निशाना बनाया गया। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना है।

2. पत्रकारों की सुरक्षा पर वर्तमान परिदृश्य - पिछले कुछ वर्षों में गौरी लंकेश, शुजात बुखारी, तरुण acharya जैसे पत्रकारों की हत्या हुई। पत्रकारों पर राजद्रोह, मानहानि, आईटी एक्ट आदि के तहत केस दर्ज किए जाते हैं। वहीं महिला पत्रकारों को ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकी और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

3. भारतीय विधिक ढाँचा और पत्रकारों की सुरक्षा - Press Council of India Act, 1978 प्रेस की नैतिकता की निगरानी करती है, परंतु इसे दंडात्मक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। IPC और CrPC कानूनों में पत्रकारों पर हो रहे अपराधों के सामान्य प्रावधान हैं, पर कोई विशिष्ट सुरक्षा नहीं है। Whistle Blowers Protection Act, 2014 सीमित रूप से कुछ पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। आईटी अधिनियम, 2000 साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा तो देता है, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग भी पत्रकारों के विरुद्ध किया गया है।

4. पत्रकार सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम - महाराष्ट्र पत्रकार सुरक्षा अधिनियम (प्रस्तावित) राज्य स्तर पर प्रयास हुए हैं, लेकिन कोई केंद्रीय कानून नहीं बना। एनएचआरसी और एनएचआरआई द्वारा कुछ मामलों में पत्रकारों के अधिकारों के हनन पर स्वत: संज्ञान लिया गया। पत्रकारों की यूनियन और प्रेस संगठनों द्वारा बार-बार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की गई है।

5. अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और भारत की स्थिति - यूनेस्को और UNHRC ने पत्रकार सुरक्षा को मानवाधिकारों से जोड़ा है। कई देशों (जैसे: मैक्सिको, स्वीडन, नॉर्वे) ने पत्रकार सुरक्षा हेतु विशिष्ट कानून बनाए हैं। भारत में ऐसी कोई राष्ट्रव्यापी कानूनी व्यवस्था अभी तक अस्तित्व में नहीं है।

निष्कर्ष

भारत में पत्रकारों की सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। जबकि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर पत्रकारों को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त नहीं है। न तो उनके लिए कोई विशिष्ट सुरक्षा कानून है, न ही प्रेस काउंसिल जैसे निकायों के पास प्रभावी कार्रवाई की शक्ति है। प्रेस काउंसिल, आईपीसी और अन्य सामान्य कानून पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा केवल स्वतंत्रता का नहीं, अपितु लोकतंत्र की रक्षा का भी है। यदि पत्रकार डरकर या दबाव में कार्य करेंगे, तो समाज को निष्पक्ष और सत्य सूचना नहीं मिल पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का "पत्रकार सुरक्षा अधिनियम" लाया जाए, जो पत्रकारों को शारीरिक, मानसिक, कानूनी और साइबर सुरक्षा प्रदान करे।

पत्रकारों की हत्या, डराने-धमकाने और कानूनी उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएँ लोकतंत्र के लिए घातक हैं। यदि पत्रकार डरकर काम करेंगे तो न केवल सत्य दबेगा, बल्कि जनता तक वास्तविक सूचनाएँ नहीं पहुँच पाएंगी। अतः यह आवश्यक है कि भारत में एक समर्पित "पत्रकार सुरक्षा कानून" बनाया जाए, जिसमें उनकी भौतिक, मानसिक और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रेस काउंसिल को संवैधानिक दर्जा और दंडात्मक अधिकार देने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान - अनुच्छेद 19(1)(a)
2. Press Council of India Act, 1978
3. Whistle Blowers Protection Act, 2014
4. Romesh Thappar v. State of Madras, AIR 1950 SC 124
5. UNESCO Report on Safety of Journalists, 2023
6. Human Rights Watch Reports on India
7. समाचार पत्र: The Hindu, Indian Express, The Wire
8. पत्रकार सुरक्षा पर प्रेस काउंसिल की वार्षिक रिपोर्ट